न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :–95/2018 निर्णय दिनांक :– 19.8.20

उनवान

1. उर्मिला यादव पुत्री रामचन्द्र पत्नि मुकेश यादव जाति यादव, निवासी–नेनोपुरा राडोली तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0

––वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व तुलसा जाति यादव, निवासी–ग्राम टूमली का बास, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0
2. नारगी देवी पत्नि मूलचन्द पुत्री भौरिया जाति यादव, निवासी ग्राम झिलाई तहसील निवांई जिला टोक राज0
3. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर
4. उपपंजीयक शाखा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 रा.टे.ए

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त शीर्षकीय वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थीया ने विधिवत प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थीया की सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ग्राम टूमलीकावास पटवार क्षेत्र टूमली का बास,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तथा वह उक्त संपूर्ण भूमि का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 01 के नाम से अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर संपूर्ण भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचना करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 24.06.2019 को अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थीया की मौजूदगी में कुछ प्रोपर्टी दलालों को वादग्रस्त अविभाजित भूमि पर लेकर आया और भूमि दिखाने लगा, इस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 01 से कहा कि तुम इन लोगो को जमीन क्यों दिखा रहे हो तो अप्रार्थी सं. 01 ने कहा कि मै यह सारी जमीन बेच रहा हूँ, यह सुनकर प्रार्थीया को घोर आश्चर्य हुआ तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 01 से कहा कि इस पुश्तैनी भूमि में मेरा भी विधिक हक व हिस्सा है, तुम अकेले भूमि को बेचान नहीं कर सकते तथा प्रार्थीया ने उक्त भूमि का बाई मीट्स व बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा करने की मांग की तो अप्रार्थी सं. ने तकासमा करने से मना कर दिया एवं प्रार्थीया को ऐलानिया धमकी दी कि मै जल्दी ही यह सारी भूमि को अच्छे दामों पर बिल्डर को बेचान करके खुर्द बुर्द कर दूंगा तुम्हे कोई हिस्सा नहीं दूंगा, सारी राशि खुद प्राप्त कर लूंगा एवं तुझे यहां से बेदखल करा दूंगा तेरे बस में हो कर लें। इसलिए प्रार्थीया को अपने हितों व अधिकारों एवं अपने हिस्सें की भूमि की सुरक्षा हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 02 में वर्णित पुश्तैनी भूमि प्रार्थीया के दादा स्व तुलसा द्वार छोडी गई है, इस कारण उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/2 में से 1/2 विधिक हक व हिस्सा है, इसलिये प्रार्थीया अपने हिस्से को माननीय न्यायालय के जरिये घोषित कराने की अधिकारी है। उपरोक्त भूमि अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीया का विधिक अविभाजित हिस्सा है

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (जयपुर)

रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जारी की गयी तो अप्रार्थीगण हाजीर अदालत आये व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 गलत है स्वीकार नही है इस मद में सफलता की आशा करना कल्पना मात्र है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, प्रार्थी स्वयं साबित करें। उक्त मद में खसरा नम्बर गलत अंकित किये गये है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 लगायत 5 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, गलत एवं अस्वीकार है। उक्त मद में प्रार्थी ने गलत एवं झूठे मनगढंत तथ्य वर्णित किये है, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर कोई तकासमा नही हुआ है। उक्त मद में वर्णित खसरा नम्बरान में ना तो प्रार्थी दर्ज खातेदार है और ना ही प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण बिना किसी विधिक तकासमा के सामलाती रूप से काश्त करते आ रहे है इस प्रकार अप्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरान में दर्ज खातेदार काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 2 नारगी देवी की उक्त कृषि भूमि से प्रार्थी को कोई सरोकार नही है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में प्रार्थी दर्ज खातेदार नही होने के कारण तथा प्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र की पुत्री होने के नाते अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र के जीवित होते हुये प्रार्थी उर्मिला को घोषणा खातेदारी एवं तकासमा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार कानूनी आधार पर ही प्रार्थी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी अपने ससुराल में रहती है तथा अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र की कभी भी कोई देखभाल अथवा हाल चाल की जानकारी नही रखती है उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी अपने पति एवं ससुराल के बहकावे में

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हुयी है। जिसमें प्रार्थीया के हक निहित है अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को बेचने पर आमादा है। जिनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अप्रार्थीण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही फरमाया तो वादग्रस्त भूमि का बेचान कर देगे जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नही होगा, इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस की सुविधा का संन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी वकील की बहस का खंडन करते हुये व जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते कथन किया कि वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नही है न कभी अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर तकासमा हुआ है वर्णित खसरा नम्बरान में ना तो प्रार्थी दर्ज खातेदार है ना ही उक्त खसरा नम्बरान पर प्रार्थीया काबिज काश्त है प्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र की पुत्री होने के नाते अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र के जिवित होते हुये प्रार्थी उर्मिला को घोषणा खातेदारी एवं तकासमा करवाना का कोई अधिकार नही है। न ही प्रार्थीया का वाद चलने योग्य है। प्रार्थीया द्वारा रामचन्द्र की कभी भी देखभाल व हाल चाल की जानकारी नही रखती है। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीया अपने पति एवमं ससूराल वालों के बहकावे में आकर घोषणा खातेदारी करवाकर विक्रय करने पर आमादा है जबकि कानूनी रूप से प्रार्थीया को घोषणा खातेदारी करवाने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास उक्त वादग्रस्त भूमि के अलावा आय का कोई साधन नही जिससे प्रार्थीया हडपना चाहती है जिसको रामचन्द्र के जीते जी लेने का अधिकार नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सतुलन अपुर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र के जिवित होते हुये प्रार्थी उर्मिला को घोषणा खातेदारी एवं तकासमा करवाने का अधिकार नही है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस कारण अप्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केश सुविधा संतुलन एवमं अपूर्णीय क्षति भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 का खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र 212 का खारिज किये जाने से न्यायालय आदेश दिनांक 28.06.2019 का प्रभावहीन हो गया है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हों

आज दिनांक 19.8.20 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू